न्यायालय– समाहर्त्ता, सहरसा।
विविध बन्दोबस्त वाद संख्या–01/2013
शंकर कुमार ठाकुर वनाम राज्य

आदेश

28.11.14

प्रस्तुत वाद आवेदक शंकर कुमार ठाकुर, पिता– श्री दिगम्बर ठाकुर, साकिन– सुगमा, थाना– सलखुआ, जिला– सहरसा के द्वारा दाखिल किया गया है।

आवेदक के द्वारा आवेदन पत्र में कहा गया है कि अन्दर दफा 106 बी०टी० एक्ट के तहत सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, सहरसा के न्यायालय में पूर्व में वाद संख्या– 18772/85 दायर किया गया था, परन्तु सर्वे न्यायालय के बन्द हो जाने के कारण सभी लंबित वाद समाहर्त्ता के न्यायालय में हस्तान्तरित हो जाने के कारण वाद संख्या– 18772/85 अभी तक निष्पादन हेतु लम्बित है। लम्बी अवधि बीत जाने के बाद भी आवेदक को जब कोई अनुतोष/आदेश नहीं मिला तब असंतुष्ट होकर मान्नीय उच्च् न्यायालय में सी०डब्लू०जे०सी०–3981/2013 दायर किये। उक्त रीट में मान्नीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक– 20.03.2013 को आदेश पारित किया गया। मान्नीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में समाहर्त्ता को निर्देश दिया गया है कि आवेदक के लंबित वाद के बारे में जॉच–पड़ताल करें तथा यदि वाद अभी तक निष्पादन हेतु लम्बित पाया जाता है तो उसे जल्द से जल्द इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से तीन महीने के अन्दर नियमानुकूल उचित आदेश पारित किया जाय।

आवेदक के द्वारा अग्रतर कथन किया गया है कि आवेदक की भूमि जो अभी भी उनके शांतिपूर्ण जोत–आबाद एवं कब्जे में चला आ रहा है, हाल सर्वे के अधिकार अभिलेख में आवेदक का नाम खारीज कर अनाबाद बिहार सरकार के नाम दर्ज कर दिया गया है। संबंधित अधिकारी के द्वारा आवेदक की उक्त भूमि को हरिजनों को पर्चा से वितरित कर दिया गया है, जो कि बिल्कुल नाजायज एवं गलत है। जबकि वास्तविकता यह है कि सरजमीन पर आवेदक शांतिपूर्ण दखल–कब्जे में है तथा वर्त्तमान में उक्त भूमि पर मकई की फसल लगाये है जो काटने लायक हो गया है। आवेदक का यह भी कथन है कि वादग्रस्त भूमि आवेदक की रैयती भूमि है और वह सन् 1932 से आवेदक के शांतितपूर्ण दखल–कब्जे में चली आ रही है। लेकिन राजनीतिक दवाब के चलते उक्त भूमि हरिजनों के बीच औपबंधिक परवाना द्वारा वितरित कर दिया गया है, जो केवल कागजी हस्तान्तरण है।

इसलिए मान्नीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में निर्धारित समय–सीमा के अन्दर सुनवाई कर हरिजनों को निर्गत औपबंधिक पर्चा को रद्द करते हुए आवेदक का नाम अधिकार अभिलेख में दर्ज करने का आदेश पारित किया जाय।

राज्य की ओर से विद्वान सरकारी अधिवक्ता द्वारा दाखिल जवाब में कहा गया है कि–

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 की धारा–20(2) में यह उल्लेखित है :–

"बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 बिहार सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त हस्तक, 1859 तकनीकी नियमावलियों तथा बिहार, अभिधारी होल्डिंग (अभिलेखों का अनुरक्षण) अधिनियम 1973 में अधिकथित सर्वे एवं बन्दोबस्त के लिए प्रक्रिया, इस अधिनियम के प्रावधानों, इसके अधीन निर्मित नियमों तथा उसके अधीन बनाये गये हस्तक तथा अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए, समय समय पर, निर्गत मार्गदर्शनों द्वारा यथास्थिति, अवक्रमित, संशोधित या अनुपूरित मानी जायेगी।"

सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग–सह–निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना के पत्रांक– 867 दिनांक– 08.05.2013 के द्वारा बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 की धारा– 106, 108, 108A के अन्तर्गत विचाराधीन वादों के निष्पादन हेतु विधि विभाग से परामर्श के पश्चात निम्न दिशा–निर्देश दिया गया :–

"बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 की धारा– 106, 108, 108A के अन्तर्गत विचाराधीन वादों का हस्तांतरण भूमि सुधार उप समाहर्त्ता न्यायालय में करना उचित नहीं होगा। क्योंकि ऐसा करने पर वादों में विवादित सम्पत्ति का री–सर्वे किया जाना सभव नहीं हेागा क्योंकि मामला सब–जुडिश की श्रेणी में आ जायेगा। अतः उचित होगा कि अधिनियम 2011 के आलोक में री–सर्वे का कार्य पूर्ण करने के पश्चात उक्त काश्तकारों को नियमावली– 13 के अन्तर्गत अपने आपत्ति या दावा नये सिरे से दाखिल करने का अधिकार होगा।"

सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग–सह–निदेशक भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना के पत्रांक– 150/गो0 दिनांक– 06.06.2013 के द्वारा सूचित किया गया है कि बिहार विशेष सर्वेक्षण अधिनियम– 2011 एवं बिहार विशेष नियमावली–2012 के प्रभाव में आने के कारण सर्वेक्षण से संबंधित बी0टी0एक्ट की धाराएँ स्वतः निरस्त. (Repeal) हो गयी है विशेषकर धारा– 101 से लेकर धारा– 108 तक।

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम–2011 की धारा– 20(2) एवं उपर्युक्त विभागीय पत्रों में उल्लिखित तथ्यों से स्पष्ट है कि बिहार विशेष सर्वेक्षण अधिनियम– 2011 के प्रभाव में आने के कारण बी0टी0एक्ट की धारा– 101 से लेकर 108 तक अवक्रमित मानी जायगी, जिसके फलस्वरूप बी0टी0एक्ट की धारा– 108 के अन्तर्गत सुनवाई करना विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता है।"

राज्य की ओर से विद्वान सरकारी अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में दाखिल कागजातों का अवलोकन किया। विद्वान सरकारी अधिवक्ता द्वारा बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम 2011 की धारा– 20(2) एवं विभागीय पत्रों के आलोक में स्पष्ट किया गया है कि–

" बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 बिहार सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त हस्तक, 1859 तकनीकी नियमावलियों तथा बिहार, अभिधारी होल्डिंग (अभिलेखों का अनुरक्षण) अधिनियम 1973 में अधिकथित सर्वे एवं बन्दोबस्त के लिए प्रक्रिया, इस अधिनियम के प्रावधानों, इसके अधीन निर्मित नियमों तथा उसके अधीन बनाये गये हस्तक तथा अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए, समय समय पर, निर्गत मार्गदर्शनों द्वारा यथास्थिति, अवक्रमित, संशोधित या अनुपूरित मानी जायेगी। "

सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग–सह–निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना के पत्रांक– 867 दिनांक– 08.05.2013 के द्वारा बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 कि धारा– 106, 108, 108A के अन्तर्गत विचाराधीन वादों के निष्पादन हेतु विधि विभाग से परामर्श के पश्चात निम्न दिशा–निर्देश दिया गया:–

" बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 की धारा– 106, 108, 108A के अन्तर्गत विचाराधीन वादों का हस्तांतरण भूमि सुधार उप समाहर्त्ता न्यायालय में करना उचित नहीं होगा। क्योंकि ऐसा करने पर वादों में विवादित सम्पत्ति का री–सर्वे किया जाना संभव नहीं हेागा क्योंकि मामला सब–जुडिश की श्रेणी में आ जायेगा। अतः उचित होगा कि अधिनियम 2011 के आलोक में री–सर्वे का कार्य पूर्ण करने के पश्चात उक्त काश्तकारों को नियमावली– 13 के अन्तर्गत अपने आपत्ति या दावा नये सिरे से दाखिल करने का अधिकार होगा।"

सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग–सह–निदेशक भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना के पत्रांक– 150/गो0 दिनांक– 06.06.2013 के द्वारा सूचित किया गया है कि बिहार विशेष सर्वेक्षण अधिनियम– 2011 एवं बिहार विशेष नियमावली–2012 के प्रभाव में आने के कारण सर्वेक्षण से संबंधित बी0टी0एक्ट की धाराएँ स्वतः निरस्त (Repeal) हो गयी है विशेषकर धारा– 101 से लेकर धारा– 108 तक।

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम–2011 की धारा– 20(2) एवं उपर्युक्त विभागीय पत्रों में उल्लिखित तथ्यों से स्पष्ट है कि बिहार विशेष सर्वेक्षण अधिनियम– 2011 के प्रभाव में आने के कारण बी0टी0एक्ट की धारा– 101 से लेकर 108 तक अवक्रमित मानी जायगी।

अतः उपर्युक्त विवेचना के आधार पर आवेदक के आवेदन पर सुनवाई करना विधि सम्मत नहीं है। आवेदक द्वारा दाखिल वाद खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत

समाहर्त्ता,
सहरसा।

समाहर्त्ता,
सहरसा।

ज्ञापांक 2218-2/ जिला विधि, सहरसा, दिनांक– 28 नवम्बर, 2014 ई.।

प्रतिलिपि– सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं सहरसा जिला के बेवसाईट पर प्रकाशनार्थ हेतु प्रेषित।

28/11/14
प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।
28.11.14

30